

मान्यता कोड : RJJN31657

**कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) JHUNJHUNUN ,
राजस्थान**

क्रमांक: 2308

दिनांक - 10/06/2021

सचिव

प्रबंध समिति

SHREE SHYAM PUBLIC SECONDARY SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के उपनियम (8) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 37778 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, SHREE SHYAM PUBLIC SECONDARY SCHOOL पता V&P - NANGAL TEHSIL - UDAIPURWATI DISTRICT - JHUNJHUNUN ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NANGAL ब्लॉक UDAIPURWATI को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ:-

स्थान (पता) परिवर्तन			
वर्तमान में स्कूल का स्थान (पता)			
जिला	JHUNJHUNUN	ब्लॉक	UDAIPURWATI
ग्राम पंचायत/यु एल बी	NANGAL	ग्राम/वार्ड	KOT
विद्यालय का स्थान (पूरा पता)	NANGAL KOT TEH UDAIPURWATI DISTT JHUNJHUNUN		
स्वीकृत स्थान (पता)			
जिला	JHUNJHUNUN	ब्लॉक	UDAIPURWATI
ग्राम पंचायत/यु एल बी	NANGAL	ग्राम/वार्ड	NANGAL
विद्यालय का नवीन स्थान (पूरा पता)	V&P - NANGAL TEHSIL - UDAIPURWATI DISTRICT - JHUNJHUNUN		
अतिरिक्त माध्यम के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय में शिक्षण का माध्यम	Hindi		
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम	English		
स्वीकृत अतिरिक्त माध्यम किस कक्षा से किस कक्षा तक	1-10		
नाम परिवर्तन के लिए विवरण			
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	SHREE SHYAM PUBLIC SECONDARY SCHOOL		
स्वीकृत नवीन नाम	SIDDHARTH INTERNATIONAL SCHOOL		

2/18
10/06/21

प्रारूप-2

फोन
फैक्स

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) हनुमानगढ़ राजस्थान

संख्यांक : 585

दिनांक : 30-8-11

प्रबन्धक

श्री श्री राम पब्लिक स्कूल
कोट (उदयपुरवादी) हनुमानगढ़

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 4/11/8 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पूर्ववर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं श्री श्री राम पब्लिक स्कूल कोट (हिन्दी) को दिनांक 2-11-12 से दिनांक तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (संलग्न 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी

हनुमानगढ़

Page 26 of 28

प्रारूप-2ग्राम
ई-मेलफोन :
फैक्स :कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा) राजस्थान
382

संख्यांक : 152

दिनांक : 30-7-12

प्रबन्धक,

श्री. ग्राम पब्लिक स्कूल
कोट

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 15-4-12 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मैं श्री. ग्राम पब्लिक स्कूल कोट (हिन्दी) को दिनांक 2012 से दिनांक 13-14 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

उत्तर 370
स्तर

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में, उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और अलाभपद समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूरतियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता खेगा।

- अध्यापक पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता
11. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
 12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 13. विद्यालय को राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत किसी सोसायटी द्वारा या राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 14. विद्यालय को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 15. विद्यालय के लेखाओं की चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को भेजी जानी चाहिए।
 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांकM.Y..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इसका उल्लेख करें।
 17. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर / जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कायकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएँ।
 18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 19. संलग्न उपाबंध-III के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 20. RTE की पालना की जाएगी। वरना मूल मान्यता रद्द किया जाएगा।

31 मार्च 2013 तक पूर्ण करनी होगी।

भवदीय,
 जिला शिक्षा अधिकारी
 प्रारम्भिक शिक्षा 3.42

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, झुंझुनू

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(2) शिक्षा-5/2005 पार्ट दिनांक 05.07.2013 एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेश क्रमांक -शिविरा-मा/माध्य/अ-2/21313/13-14 दिनांक 18.07.2013 के द्वारा निम्न गैर राजकीय विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2013-14 में कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 की निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के मान्यता संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा।
3. विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
4. विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
5. राज्य सरकार/ विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/ नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/ अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
6. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है। अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी।

कक्षा 9 के साथ कक्षा 10 व कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 के संचालन की स्वीकृति वाले विद्यालय

क्र.स.	नाम विद्यालय	माध्यम	मान्यता सत्र 2013-14
1	श्री श्याम माध्यमिक विद्यालय, पचेरी बडी	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
2	अल-मदनी इस्लामिया गर्ल्स सैकेण्डरी स्कूल मौहल्ला काजीवाडा, झुंझुनू	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
3	श्री श्याम पब्लिक स्कूल कोट, उदयपुरवाटी	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
4	श्री नारायण पब्लिक स्कूल बागोरा	हिन्दी	कक्षा 9 के साथ कक्षा 10
5	ज्ञान सिन्धु पब्लिक सी.से. स्कूल, चिडावा	हिन्दी	कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 कम्प्यूटर विज्ञान (वाणिज्य)

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक, झुंझुनू

क्रमांक :- जिशिअ/मा/झु/शै0प्र0/2013/2427-2432 दिनांक :- 3-8-2013

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर।
3. श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान् उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, चूरु।
5. संयोजक जिला समान परीक्षा
6. संबंधित सचिव /संस्था प्रधान

जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक, झुंझुनू

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) झुंझुनूं
कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के पत्रकमांक:-प 9 (2) शिक्षा -5/2010 जयपुर दिनांक 7.2.2013 एवं 7.3.2013 की पालना में तथा श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रकमांक:-शिविरा-माध्य/मा/अ-2/21313/वो-1/2013-14 दिनांक 17-5-2013 के द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्न गैर सरकारी विधालयों को शैक्षणिक सत्र 2013-2014 में निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है ।

1. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की पालना करनी होगी ।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के मान्यता (सम्बद्धता) संबंधित विनियमों की पालना करनी होगी एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र (प्रपत्र-क) मय शुल्क के उपलब्ध करवाना होगा ।
3. विधालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जायेगी
4. विधालय का नाम/भवन /वर्ग/माध्यम परिवर्तन के पूर्व विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।
5. राज्य सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों की पालना करनी होगी एवं वांछित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे ।
6. कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के मामले में राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2011 की पालना अनिवार्य है । अन्यथा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 व नियम 1993 के अधीन दी गई मान्यता समाप्त की जा सकेगी ।

उप्रावि से मावि में क्रमोन्नत

क्र०स०	नाम विधालय	माध्यम
1	श्री श्याम उप्रावि पचेरी बडी	हिन्दी
2	मणीधर पब्लिक स्कूल भोजासर	अंग्रेजी
3	श्री श्याम पब्लिक स्कूल कोट (उदयपुरवाटी)	हिन्दी
4	श्री नारायण पब्लिक स्कूल बागोरा	हिन्दी
5	इन्दिरा गांधी उप्रावि इस्लामपुर	हिन्दी

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) झुंझुनूं

क्रमांक:-जिशिअ/माध्य/झुं/निजी.वि.क्रमो./2013/1709-1713

प्रतिलिपि

दिनांक 22-05-13.

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव शिक्षा राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
4. श्रीमान उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग चूरु
5. संयोजक जिला समान परीक्षा
6. संबंधित सचिव/ संस्था प्रधान
7. श्रीमान सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी झुंझुनूं को प्रेस विज्ञप्ति हेतु सभी समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु ।

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक) झुंझुनूं